न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

अपील प्रकरण क्र. .... /06

30

FIVE RUPEES पाँच रुपये COURT FEE भारत INDIA 5 Rs.
FIVE RUPEES पाँच रुपये COURT FEE भारत INDIA 5 Rs.
FIVE RUPEES पाँच रुपये COURT FEE भारत INDIA 5 Rs.

R1334/III/06

1. जगन्नाथ		दोनों के पिता श्री शिव प्यारे राम निवासी ग्राम
2. जगतनारायण		पैरा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)

------निगरानीकर्ता गण

बनाम

1. लालमणि तनय सत्यनारायण		दोनों निवासी ग्राम पैरा,
2. शिवशंकर तनय श्री लाल जी द्विवेदी		तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म.प्र.)

------रेस्पा. गण

द्वारा आज दि. 26/7/06 को प्रस्तुत
अपर सचिव
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 75/अपील/2002-2003 निर्णय दिनांक 6.7.06 के विरुद्ध

---निग. अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा. सं. 1959

मान्यवर,

निगरानी का आधार निम्नानुसार है:-

(1). यह कि मातहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व आदेश विधि व प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है ।

(2). यह कि रेस्पा. गण द्वारा तहसीलदार त्योंथर के न्यायालय में धारा 178 एवं 109, 110 का आवेदन पत्र दिया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा बिना निगरानीकर्ता गणों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही मात्र हल्का पटवारी के द्वारा बनाई गयी पुल्ली जो कि निगरानीकर्ता गणों को अनुपस्थिति में

क्रमशः-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1334–दो/2006 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित । अनावेदक क्र0 1 की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 75/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 06.07.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 06.07.06 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश को मात्र इस आधार पर निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की है कि म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अनुसार विभाजन की कार्यवाही सहखातेदारों के मध्य होती है और जो सहखातेदार नहीं है, विभाजन का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अपर आयुक्त के न्यायालय को इसी बिन्दु पर विचार	

करना है कि अनावेदक व आवेदक सहखातेदार है कि नहीं? इस संबंध में प्रकरण में संलग्न किस्तबंदी खतौनी वर्ष 1998–99 का अवलोकन किया गया, जिसमें कृषक के रूप में सत्यानारायण, जगतराम व जगन्नाथ का नाम अंकित है । सत्यानारायण के विधिक वारिस अनावेदकगण हैं जो सजरा–खानदार से भी प्रमाणित होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष विधिसंगत नहीं है । जहां तक सत्यानारायण के द्वारा विवादित आराजी में हिस्सा न लेने की बात का प्रश्न है। आवेदक ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि सत्यानारण विवादित आराजी में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया गया हो ।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2006 यथावत रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य